रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235855
CG-DL-E-19052022-235855

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2172]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2022/वैशाख 28, 1944
No. 2172]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2022/VAISAKHA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2022

का.आ. 2291(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1527(अ) दिनांक 31.03.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH-NE5 (दिल्ली-लुधियाना-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे) के कि.मी. 515.000 से कि.मी. 566.520 (वज़रात रोड, पीर खो, पक्की ढाकी, जम्मू, जम्मू और कश्मीर 180001) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "दिनांक 06.04.2022" को “डेली एक्सेलसियर और अमर उजाला” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH-NE5 (दिल्ली-लुधियाना-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे) के कि.मी. 515.000 से कि.मी. 566.520 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर	जिले का नाम: जम्मू				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जम्मू				
	गांव का नाम: रंगूरा				
1	165min	सरकारी	गोरा हैल	0.0885	मालिक : राज्य। किरायेदार: मकबूजा विकास प्राधिकरण जम्मू (165 min) ()
2	173min	सरकारी	गैर मुमकिन झाड़	0.0076	मालिक : राज्य। किरायेदार: मकबूजा विकास प्राधिकरण जम्मू (173 min) ()
	तालुक का नाम: नगरोटा				
	गांव का नाम: बन				
1	44/1	निजी	कृषि	0.0038	मालिक:- सरवन और अन्य कल्टीवेटर:- थोरू राम शेयर होल्डर ()
2	46	निजी	कृषि	0.0278	मालिक:- राज देवी एवं अन्य कल्टीवेटर:- गिरधारी लाल शेयर होल्डर ()
3	729	निजी	गैर कृषि	0.1821	मालिक:- शामलत देह कल्टीवेटर:- वन

					विभाग ()
4	771	निजी	गैर कृषि	1.6616	मालिक:- शामलत देह कल्टीवेटर:- वन विभाग ()
5	789	निजी	गैर कृषि	0.043	मालिक:- प्रदीप सिंह एवं अन्य, जनक सिंह एवं अन्य शेयर होल्डर कल्टीवेटर:- मिलिट्री ()
6	790	निजी	गैर कृषि	0.0025	मालिक:- प्रदीप सिंह एवं अन्य, जनक सिंह एवं अन्य शेयर होल्डर कल्टीवेटर:- मिलिट्री ()
			कुल	**2.0169**	

[फा. सं. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2022

S.O. 2291(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO 1527(E) Dated31.03.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-NE5**(Delhi - Ludhiana- Amritsar - Katra Expressway)** on the stretch of land from Km. 515.000 to Km. 566.52 in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR;

And whereas the substance of the said notification has been published in "*Daily Excelsior*" and "*Amar Ujala*" both dated 06.04.*2022* under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-NE5 in the stretch of land from Km. 515.000 to Km. 566.520 NH-NE5 in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR District: JAMMU					
Sl. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Taluk: Jammu				
	Village: Rangoora				
1	165min	Government	Gora Hail	0.0885	Owner : State. Tenent : Maqbuja Development Authority Jammu (165 min)
2	173min	Government	Gair Mumkin Jhad	0.0076	Owner : State. Tenent : Maqbuja Development Authority Jammu (173 min)
	Taluk: Nagrota				
	Village: Ban				
1	44/1	Private	Agriculture	0.0038	Owners:- Sarvan and others Cultivators:- Thoru Ram share holder
2	46	Private	Agriculture	0.0278	Owners:- Raj devi and others Cultivators:- Girdhari Lal share holder
3	729	Private	Non Agriculture	0.1821	Owners:- Shamlat Deh Cultivators:- Forest Department
4	771	Private	Non Agriculture	1.6616	Owners:- Shamlat Deh Cultivators:- Forest Department
5	789	Private	Non Agriculture	0.043	Owners:- Pardeep Singh and others ,Janak Singh and other share holder Cultivators:- Military
6	790	Private	Non Agriculture	0.0025	Owners:- Pardeep Singh and others ,Janak Singh and other share holder Cultivators:- Military
			TOTAL	**2.0169**	

[F. No. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3D2]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.05.19 13:08:58 +05'30'